न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम, आरएएस)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा –2025

राजस्व आवेदन संख्या :– 630 / 2025

क्रमांकः राजस्व / 2025 / 6411 दिनांक :– 24/07/25

–: आदेश :–

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा केम्प कुड़ला में प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के समक्ष अप्रार्थी पुरखाराम वगैराह ने आवेदन प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा प्रभुओणी मालियों का वास पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 672 / 598, 742 / 598 रकबा क्रमशः 13.3870 व 3.1565 हैक्टेयर भूमि के मध्य खसरा संख्या 741 / 598 रकबा 0.7770 हैक्टेयर भूमि कटाण रास्ते के रूप में आयी हुई है। इस भूमि का समर्पण हम खातेदारों द्वारा किया गया था, इस कटाण मार्ग की राजस्व रेकर्ड में अंकित तरमीम से भिन्न डामर सड़क का निर्माण हो गया है। मौके पर चल रही डामर सड़क व पड़ौसी खातेदारों को जोड़ते हुए तरमीम दुरूस्त किये जाने निवेदन किया। तहसीनलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने मौका फर्द प्रस्तुत कर अंकित किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मौजा प्रभुओणी मालियों का वास पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 672 / 598, 742 / 598 रकबा क्रमशः 13.3870 व 3.1565 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। इन दोनों खसरों के मध्य खसरा संख्या 741 / 598 रकबा 0.7770 हैक्टेयर भूमि खातेदारों द्वारा समर्पण की गई है जिस भूमि पर सड़क मार्ग का निर्माण किया हुआ है। मौके पर डामर सड़क बनी हुई है, जो रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रास्ते की तरमीम से भिन्न है। खातेदारान की इस खातेदारी भूमि के सभी खातेदार सहमत होकर मौके पर चल रही डामर सड़क अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु सहमत है। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज पटवारी रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025, जमाबन्दी संवत् 2075–2078, वर्तमान नक्शा परिशिष्ठ–''अ'' एवं प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ–''ब'' का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं उनके संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार दर्ज है। मौके पर डामर सड़क बनी हुई है, जो रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रास्ते की तरमीम से भिन्न है। खातेदारान की इस खातेदारी भूमि के सभी खातेदार सहमत होकर मौके पर चल रही डामर सड़क अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु सहमत है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा राजस्व रेकर्ड में तरमीम परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा प्रभुओणी मालियों का वास पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 672 / 598, 742 / 598 रकबा क्रमशः 13.3870 व 3.1565 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

741/598 रकबा 0.7770 हैक्टेयर भूमि की लठ्ठा ट्रेस में वर्तमान तरमीम को निरस्त कर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त की जाती है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत की नक्शा परिशिष्ठ 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

संलग्न :– परिशिष्ठ 'ब'

(वीरमा राम)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर

क्रमांकः राजस्व/2025/ 6412-13

दिनांक :– 24/07/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी, पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाडमेर।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर